

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Faridabad Year (वर्ष): 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
12/01/2021 11:30 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/01/2021 Time (समय): 11:30 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Date and Time (दिनांक और समय): 12/01/2021 12:15 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 35 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): पलवल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Desh Raj

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/05/1964 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	faridabad, FARIDABAD CENTRAL, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	faridabad, FARIDABAD CENTRAL, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	SI रामबीर डागर न0 34 पलवल		Father's Name: सोहन लाल	1. नि0शेखपुरानजदीक किठवाडीचौकपलवल,CAMP PALWAL,PALWAL,HARYANA,I NDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। श्रीमान जी, जांच क्रमांक 05 दिनांक 21.12.2016 पलवल महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 16897/1-2/SVB (H) Date Panchkula, 27.12.2016 के अनुसार के अनुसार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम में प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप यह था कि “ श्री रामबीर डागर उप निरीक्षक न0 34/पलवल पुत्र श्री सोहन लाल सिपाही के पद पर कार्यरत हुआ था। जिसने अपनी नियुक्ति के दौरान नाजायज तरीके से धन कमाकर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की हुई है। जिसके पास एक गाडी स्वीफ्ट डिजायर न0 HR-30-L5300 मंहगी कार है। जिसने शेखपुर नजदीक किठवाडी चौक पलवल मे काफी मंहगा मकान बना रखा है और

उसने अपनी पत्नी राजवती व अन्य के नाम एक प्लॉट नं० 1726 पी सैक्टर 2 पलवल में 80 लाख से अधिक की रजिस्ट्री कराई है। उक्त आरोप की पड़ताल मन निरीक्षक द्वारा पूर्ण की गई है। आरोप की पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी रामबीर सिंह माह अक्टूबर 1991 में बतौर सिपाही हरियाणा पुलिस में नियुक्त हुआ था। जिसके पास 25 कनाल 17 मरले वर्ष 1991 से ही प्रतिवादी के हिस्से में पैतृक जमीन आती है। प्रतिवादी के पिता सोहन लाल व चाचा ग्यासी राम ने एक 5 मरले का एक प्लॉट शेखपुरा जिला पलवल में 17,325/- ₹0 में स्टाम्प सहित खरीद किया था। जिस पर सोहन लाल व ग्यासी राम ने ही उक्त प्लॉट व मकान का निर्माण करवाया था। प्रतिवादी रामबीर व उसके भाईयों व चाचा के लड़कों के परिवारिक आपसी समझौते से प्रतिवादी के चाचा ग्यासी राम ने वर्ष 2000 में सिविल कोर्ट की डिग्री से व प्रतिवादी के पिता श्री सोहन लाल से वर्ष 2006 में सिविल कोर्ट की डिग्री से प्रतिवादी रामबीर के नाम स्थानान्तरण हुआ था। जिसकी मरम्मत के लिए प्रतिवादी ने वर्ष 2010 में 5 लाख रुपये का लोन Bank of India से लेकर मकान की मरम्मत पर 4 लाख 15 हजार ₹0 खर्च किया था और प्रतिवादी ने दिसम्बर 2016 तक उक्त मकान की मरम्मत के लोन में 3,64,190/- ₹0 जमा किये हैं। प्रतिवादी ने मार्च 2006 में अपने GPF Fund से 2 लाख ₹0 मकान निर्माण के लिए निकाले हैं व मार्च 2010 में 1 लाख ₹0 मकान के विस्तार के लिए GPF से निकाले हैं। प्रतिवादी ने वर्ष 2013 में एक Swift कार जिसका नं० HR-30-L5300 को 6,57,471/- ₹0 में खरीद की थी। जिसमें प्रतिवादी ने 1 लाख 94 हजार ₹0 का लोन करवाया था और प्रतिवादी ने 4,63,471/- ₹0 नकद देकर खर्च किये थे। जिसके लोन में प्रतिवादी ने दिसम्बर 2016 तक 1,91,130/- ₹0 जमा किये हैं। प्रतिवादी ने नियुक्ति से दिसम्बर 2016 तक कुल वेतन, टी०ए० व एरियर के रूप में 32,35,295/- ₹0 प्राप्त किये थे। जिसकी 40 प्रतिशत बचत 12,94,118/- ₹0 बनती है जिसको आय में जोड़ा गया है। प्रतिवादी की पत्नी राजवती के पिता श्री खजान सिंह निवासी तेहापट्टी होडल ने वर्ष 2012 में 22 कनाल 18 मरले अपनी कृषि जमीन बेचने के मौखिक इकरारनामे पर 38 लाख ₹0 प्राप्त राशी में से 1/4 भाग प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति राजवती को जमीन खरीदने के लिए 9 लाख 50 हजार ₹0 नकद देना बतलाया गया है। उक्त जमीन की रजिस्ट्री होने पर प्राप्त राशी 1,14,50,000/- ₹0 का उसके हिस्से का 1/4 भाग की जमीन को खरीदने के लिए 28,50,000/- ₹0 राजवती को नकद देना बतलाया गया है। प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति राजवती ने अपने पिता श्री खजान सिंह से कुल 9,50,000 28,50,000 ₹0 जो कुल 38 लाख ₹0 नकद प्राप्त किये जाने बतलाये गये हैं। प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति राजवती के सिन्डिकेट बैंक पलवल की बैंक स्टैटमेंट के अनुसार यह खाता दिनांक 19.08.2012 में खोला गया था व इस खाते में वर्ष 2012 से लेकर 2015 तक समय-समय पर नकद पैसा जमा होना पाया गया है परन्तु वसीका नं० 6334 दिनांक 19.12.2014 के अवलोकन से यह पाया गया कि यह वसीका वर्ष 2014 में पंजीकृत होनी पाई गई है। जिसके माध्यम से खजान सिंह पुत्र श्री प्यारे ने 1,14,50,000/- ₹0 में 22 कनाल 18 मरले जमीन बेच दी थी व इस वसीका में किसी भी मौखिक अथवा लिखित इकरारनामे का कोई भी विवरण नहीं है। इसलिए वर्ष 2012 में किसी मौखिक इकरारनामे का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। उपरोक्त राशी गिफ्ट द्वारा पाये जाने का ब्यौरा प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा अपनी आयकर रिटर्न में नहीं दर्शाया गया है। जिस कारण से प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति राजवती के खाता में वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2014 तक जमा की गई राशी को उसके पिता द्वारा दिया जाने की आय का लाभ नहीं दिया जा सकता। जिसमें से श्रीमति राजवती ने दिनांक 30.12.13 को 4 लाख 14 हजार ₹0 का एक प्लॉट 100 वर्ग गज बाहद रकबा गांव मितरौल में खरीद किया था व एक दूसरा प्लॉट नं० 1726 सैक्टर 2 पलवल को सांझेदारी में दिनांक 28.11.15 को खरीद किया था। जिस पर राजवती ने अपने खाता से राशी 31,87,120/- ₹0 विक्रेता को व प्रतिवादी ने 2,00,000/- ₹0 साझेदार को दिये थे परन्तु वसीका नं० 7409 दिनांक 18.11.15 के अवलोकन से यह पाया गया है कि यह वसीका प्रतिवादी की पत्नी राजवती व एक अन्य महिला श्रीमति जानवती पत्नी श्री गिराज के नाम पर पंजीकृत है। इसलिए इस भूमि की कीमत 80,37,120/- ₹0 व स्टाम्प ड्युटी 4,01,900/- ₹0 जो कुल 84,38,020/- ₹0 की बनती है, इस राशी का आधा हिस्सा 42,19,010/- ₹0 प्रतिवादी के खर्च में शामिल की गई है। प्रतिवादी की कृषि भूमि के पट्टे से वर्ष 1991 से वर्ष 2016 तक कुल 10,61,600/- ₹0 आय प्राप्त हुई है। प्रतिवादी ने गाड़ी खरीदने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली है और ना ही गाड़ी खरीदने उपरान्त विभाग को सूचित किया है। प्रतिवादी के अपने स्वयं के खातों पत्नी व पुत्री के बचत खातों में कुल 2,73,563/- ₹0 कैस इन हैंड थे और प्रतिवादी ने अपनी पत्नी व अपने बच्चों की बीमा पॉलिसियों में कुल 2,66,678/- ₹0 खर्च किये हैं। जो प्रतिवादी की सभी साधनों से कुल 33,74,648/- ₹0 आय हुई है और प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा सभी साधनों पर कुल 66,07,042/- ₹0 खर्च किया है जो प्रतिवादी की आय से 32,32,394/- ₹0 अधिक है। अतः प्रतिवादी द्वारा अपने व अपनी पत्नी की चल व अचल सम्पत्ति नाजायज आय के स्रोतों से एकत्रित

करनी पाई गई है। इस बिनाह पर प्रतिवादी रामबीर सिंह पुत्र श्री सोहनलाल निवासी शेखपुरा नजदीक किठवाडी चैक पलवल तत्कालीन उप-निरीक्षक न० 34/पलवल CIA हथीन पलवल के विरुद्ध धारा 13(1) ई० भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था और इसके अलावा अभियोग की तफतीश के दौरान प्रतिवादी की पत्नी राजवती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने में अगर कोई संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के पृष्ठंकन क्रमांक 71/02/2017-5 चौ०-1 दिनांक 17.12.2020 व महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 16120/आई०-2/रा०चै०ब्यू० (ह०) दिनांक 23.12.2020 के अनुसार जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुमोदन अनुसार आरोपी जो रामबीर सिंह पुत्र श्री सोहनलाल निवासी शेखपुरा नजदीक किठवाडी चैक पलवल तत्कालीन उप-निरीक्षक न० 34/पलवल CIA हथीन पलवल के विरुद्ध धारा 13(1) ई० भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया जावे व अभियोग की तफतीश के दौरान प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती राजवती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने में अगर कोई संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि० उधम सिंह न० 698/पलवल के अरसाल थाना है। अभियोग अंकित करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। स्पेशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अभियोग की आगामी तफतीश पुलिस अधीक्षक राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद के आदेशानुसार श्री कैलाश चन्द ह०पु०से०, उप पुलिस अधीक्षक रा०चै०ब्यू० फरीदाबाद की सेवा में भिजवाई जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलग्न है। अज- थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद। SD. (देशराज) निरीक्षक, थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। दिनांक 12.01.2021. अज थाना:- इस समय एक लिखित तहरीर बदस्त सिपाही उधम सिंह न० 698/पलवल के थाना पर प्राप्त हुई जो बर लिखित निरीक्षक देशराज थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरीदाबाद बर खिलाफ SI रामबीर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी शेखपुरा नजदीक किठवाडी चौक पलवल प्राप्त होने पर मु० न० 2 दिनांक 12.01.2021. धारा 13 (1) ई० P.c एक्ट दर्ज रजि० किया जाकर FIR कि प्रतिया कम्प्यूटर से तैयार कि गई । जो मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट कि श्रेणी मे आने पर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही उधम सिंह न० 698/पलवल के अफसरान बालान व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब कि सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड बराये आगामी अनुशंधान हेतु श्री कैलाशचन्द HPS DSP SVB FBD के हवाले कि गई । नोट:- यह FIR इंस्पेक्टर रामनाथ की हाजरी मे दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kailash Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
chand
No. (सं.): INSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NAAZNEEN BHASIN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): RWR

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

